सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 93/16 **निर्णय दिनांकः— 10.07.2019**

1. पतराम पुत्र स्व. चूनाराम पुत्र स्व. पूराराम जाति जाट निवासी चक 4 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. हेतराम
3. मनीराम
4. सुल्तानाराम

   पुत्रगण स्व. पूराराम जाति जाट निवासी चक 4 केपीएम जरिये मु.आम पतराम पुत्र स्व. चूनाराम जाति जाट
5. शंकर
6. राजू उर्फ राजाराम

   पुत्रगण स्व. चूनाराम पुत्र स्व. पूराराम जाति जाट निवासी चक 4 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जरिये मु.आम पतराम पुत्र स्व. चूनाराम जाति जाट निवासी चक 4 केपीएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांटस्

—बनाम—

1. रफीक खॉ पुत्र बखू खॉ जाति मुसलमान निवासी खरबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 22—08—2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धन्ने सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 22—08—2016 जिसके द्वारा अपीलांट के पूर्वजों को पूर्व में विशेष आवंटन में आवंटित भूमि आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के दादा व पिता स्व. पूराराम पुत्र धन्नराम को वादगत् भूमि चक 4 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 146/37 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 02—08—1991 को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन की गई थी तथा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जरिये चालान संख्या 127 दिनांक 02—08—1991 को जारी किया गया तथा स्व. पूराराम द्वारा दिनांक 05—08—1995 को ही उक्त 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया। तभी से अपीलांट के पूर्वज व वर्तमान में अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त आवंटन व 35 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त आवंटित भूमि का पट्टा जारी करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की थी, परन्तु आज दिनांक तक अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया हैं इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं हैं अपीलांट द्वारा निरन्तर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करवाने व आवंटन पट्टा जारी करने का निवेदन किया जाता रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो बकाया राशि जमा करवाई गई ना ही वादाधीन भूमि का पट्टा ही जारी किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि इसी दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। जबकि उक्त दिनांक को वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि किसी भी स्थिति में आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो रिकार्ड का कोई अवलोकन किया ना ही मौके के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। यदि तत्समय ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो यह स्थिति स्वमेव सामने आ जाती कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित व उसके कब्जे काश्त की भूमि है। आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त स्थिति के विपरीत जाकर व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया

ना ही सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में है तथा वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। उक्त समस्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष मौजूद रहते हुए भी अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत ने आवंटन सलाहकार समिति की मिटिंग बुलाये बिना ही स्वयं अपनी मनमर्जी से बिना वरियता के वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के किया गया आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियो वाईड आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे व अपीलांट के बकाया राशि जमा करवाते हुए आवंटन पट्टा जारी करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 146/37 की 24 बीधा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम आवश्यक सबूत यथा भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से भूमि कम होने का प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची 1971, 1974, 1988, 1998 की प्रमाणित प्रति व सद्भावी कृषक होने का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये गये तथा धरोहर राशि जरिये चालान संख्या 406955/23 द्वारा

खजानाराज में जमा करवा दी गई। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम सबूतों की जॉच की गई तथा जॉच उपरान्त अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का एकल आवेदन है तथा प्रार्थी की सर्वोच्य वरियता होने पर तथा आवंटन हेतु तमाम औपचारिकता पूर्ण होने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया हैं।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वजों को 1991 में आवंटित भूमि है। इस संबंध में कथन है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् मात्र 35 प्रतिशत राशि ही जमा करवाई गई है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा तमाम राशि आवंटन पश्चात् खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के वादग्रस्त भूमि पर हक व हकूक साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि पूर्व में अपीलांट्स को आवंटित होकर खातेदारी का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 सीपीसी की दरखवाश्त स्वीकार की जाती है।

जहॉ तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट्स द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजो की छाया प्रतियों के अनुसार विवादित भूमि चक 4 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/37 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा पूराराम पुत्र धन्नराम के पक्ष में दिनांक 02—08—1991 को आवंटित की गई है। आवंटी द्वारा उक्त आवंटन के पेटे 35 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करवा दी गई। आवंटी द्वारा शेष राशि जमा करवाने का निवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला द्वारा दिनांक 26—05—2005 को आवंटित भूमि के मौके एवं रिकार्ड की स्थिति

तहसीलदार छत्तरगढ़ से मंगवाई गई। प्रत्युतर में तहसीलदार ने दिनांक 06—06—2005 को आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसों का कब्जा होने की ताईद की गई।

आवंटन आदेश जारी करने के उपरान्त निर्धारित किश्त जमा करवा देने तथा कब्जा लेने के उपरान्त उपनिवेशन अधिकारियों का दायित्व था कि वे आवंटी के पक्ष में रिकार्ड अपडेट करते या आवंटन की शर्त भंग की हो तो आवंटन खारिज करने की आदेश जारी करते, परन्तु आवंटन के 25 साल बाद भी रिकार्ड पूर्ण नहीं किया गया तथा पूर्व आवंटन व कब्जे की जॉच किये बिना ही वही भूमि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवा ली गई।

रेस्पोडेन्ट द्वारा विशेष आवंटन के लिये दिनांक 30—06—1999 को आवेदन किया गया। जिस पर 16 साल बाद कार्यवाही करते हुए पूर्व में अपीलांट्स को आवंटित भूमि का दुबारा आवंटन रफीक के पक्ष में कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी की यह कार्यवाही पूर्व आवंटी तथा पश्चात्वर्ती आवेदक को क्षति पहुॅचानें के आश्य से की गई है। आवंटन अधिकारियों की इस गैर जिम्मेदाराना एवं नियम विरूद्व कार्यवाही के कारण दोनों पक्षकारों को जटिल कानूनी कार्यवाही में उलझना पड़ा है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—08—2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पूर्व आवंटी से बकाया राशि वसूल करते हुए विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत खातेदारी सनद् तारी करें तथा रेस्पोडेन्ट रफीक खॉ पुत्र बखूखॉ से आवंटन पेटे जमा कराई गई राशि तथा पात्रता के अनुसार समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन करें।

8. निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर